न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 199 / 2022

1. सुरजीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह
2. सुरजीतो कौर पुत्री गुलजार जाति रायसिक्ख निवासी सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. दलीप कौर पुत्री गुलजार सिंह पत्नी बलदीर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहसन तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 21 / 08 / 2023

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1032 / 0.01, 1033 / 0.12, 1034 / 0.08, 1038 / 0.02, 15 / 0.28, 17 / 0.15, 3805 / 0.08, 3806 / 0.06, 3807 / 0.20, 3808 / 0.21, 3809 / 0.22, 3849 / 0.07, 3850 / 0.08, 3852 / 0.16, 3853 / 0.11, 3854 / 0.01, 3855 / 0.03, 3856 / 0.02, 3878 / 0.01, 3882 / 0.06, 3886 / 0.15, 653 / 0.25, 661 / 0.26, 662 / 0.34, 978 / 0.16, किता–25 रकबा 3.14 हैक्टर बांके ग्राम सहसन प्रथम एवं खसरा नम्बर हाल 3977 / 0.32, 6680 / 0.20 किता–2 रकबा 0.52 हैक्टर बांके ग्राम सहसन द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी के हक व हित समान है। वक्त दावा दायरी के न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। आराजी मुतदाविया वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी काबिज काश्त है एवं मौके पर कब्जा है। आराजी मुतदाविया वादीगण के दादा सुन्दर पुत्र सैयाद सिंह की गैर मौरूसी की आराजी थी। सुन्दर ने अपने जीवन काल तक काश्त की और दादा सुन्दर के मरने के बाद पिता गुलजार सिंह ने काश्त की और गुलजार सिंह के मरने के बाद से ही लगातार अब वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

नाम आज भी गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड हो रहा है एवं खसरा नम्बर 3977/0.32, 6680/0.20 राजस्व रिकॉर्ड में मृत्तक सुन्दर के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होती चली आ रही है। जो कि गलत दर्ज हो रही है। सुन्दर के नाम को कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्से पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने आपको खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। क्योकि उनके विरूद्ध कोई दादरसी नही चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के बुजुर्गान अपने–अपने हिस्से पर गैर मौरूसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मौरूसी के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 सुरजीत सिंह , का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2014–17, 2018–21, 2022–25, 2030–33, 2034–37, 2035–37, 2042–45, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2003–05, 2008–11, 2067–70, व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2014–17 आराजी सुन्दर सिंह पुत्र सैयाद सिंह के नाम गैर मौरूसी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतदाविया वादीगण के दादा सुन्दर पुत्र सैयाद सिंह की गैर मौरूसी की आराजी थी। सुन्दर ने अपने जीवन काल तक काश्त की और दादा सुन्दर के मरने के बाद पिता गुलजार सिंह ने काश्त की और गुलजार सिंह के मरने के बाद से ही लगातार अब वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को आराजी खसरा नम्बर हाल 1032/0.01, 1033/0.12, 1034/0.08, 1038/0.02, 15/0.28, 17/0.15, 3805/0.08, 3806/0.06, 3807/0.20, 3808/0.21, 3809/0.22, 3849/0.07, 3850/0.08, 3852/0.16, 3853/0.11, 3854/0.01, 3855/0.03, 3856/0.02, 3878/0.01, 3882/0.06, 3886/0.15, 653/0.25, 661/0.26, 662/0.34, 978/0.16, किता–25 रकबा 3.14 हैक्टर बांके ग्राम सहसन प्रथम पर मुताबिक हिस्सा एवं खसरा नम्बर हाल 3977/0.32, 6680/0.20 किता–2 रकबा 0.52 हैक्टर बांके ग्राम सहसन द्वितीय तहसील पहाडी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड गैरखातेदार के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/08/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)